संख्या-107/2022/1798/26-3-2022

प्रेषक,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें

निदेशक
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 23 सितम्बर 2022

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बालापुर जनपद-बलरामपुर के परिसर में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-142/76/ज0जा0वि0/निर्माण/2022-23, दिनांक-30.07.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बालापुर, जनपद-बलरामपुर के परिसर में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-248/2019/4972/26-3-2019, दिनांक-28.11.2019 द्वारा राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बालापुर, बलरामपुर के परिसर में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु आगणित धनराशि रू0-910.63 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0-224.54 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-04-अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के अधूरे भवनों का निर्माण-24-वृहद निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बालापुर, जनपद-बलरामपुर के परिसर में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0-343.00 लाख (रूपये-तीन करोड़ तेतालीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1)-निदेशक, जनजाति विकास द्वारा कार्यदायी संस्था प्रबंध निदेशक, यू0पी0 सिडको, लखनऊ के साथ अनुबन्ध निष्पादित करते हुये स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, जनजाति विकास का होगा।

(3)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विद्यमान नियमों का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन व महालेखाकार को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का निर्माण निर्धारित ससमय में पूर्ण कर लिया जाये।

(6)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7)-धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नही रखी जायेगी।

(8)-यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(9)-धनराशि का आवंटन बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही किया जायेगा।

(10)-उक्त प्रायोजन की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। उक्ता कार्य की मात्राओं के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(11)-प्रश्ननगत कार्यों में शासनादेश संख्या-1178/26-3-2020 दिनांक-12-05-2020 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-04-अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के अधूरे भवनों का निर्माण-24-वृहद निर्माण' ' के नामे डाला जायेगा।

उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृसं0-107/2022/1798(1)/26-3-2022 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

5- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलरामपुर।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।

7- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

8- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 सिडको, लखनऊ।

9- निदेशक, एन0आई0सी0।

10- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।